एमआरवीसी/डब्ल्यू/ईएल/मध्यस्थता दिनांक 05.11.2018

मध्यस्थता और अधिनिर्णायकों पर नीति दिशानिर्देश

मध्यस्थों के स्तर और मध्यस्थों और अधिनिर्णायकों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क संरचना के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश इस कार्यालय टिप्पणी संख्या एमआरवीसी/ डब्ल्यू/ ईएल/ तकनीकी सर्किल/ 30/ वॉल्यूम तृतीय दिनांक 22.04.2015 के माध्यम से जारी किए गए थे। मध्यस्थता और अनुरंजन (संशोधन) अधिनियम, 2015 को ध्यान में रखते हुए और नए विकास पर विचार करते हुए, मध्यस्थता और निर्णायक पर निम्नलिखित नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

1. मध्यस्थता की मांग:

1.1 पार्टियों के बीच किसी भी तरह के विवाद या मतभेद की स्थिति में, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित मध्यस्थता के लिए नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता की मांग की जाएगी। कोई भी पक्ष पहले मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ने से पहले असंतोष और मध्यस्थता शुरू करने के इरादे की सूचना देगा। 90 दिनों के बाद लेकिन उस दिन से 150 दिनों के भीतर जिस दिन असंतोष की सूचना और मध्यस्थता शुरू करने का इरादा दिया गया था, कोई भी पक्ष लिखित रूप से मांग करने का हकदार होगा कि विवाद या अंतर को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाए।

1.2 मध्यस्थता की मांग उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी जो प्रश्न में हैं, या विवाद या अंतर के विषय के साथ-साथ दावे की राशि भी आइटम-वार, केवल ऐसे विवाद या अंतर, जिसके संबंध में मांग की गई है, साथ में काउंटर दावों या सेट ऑफ , किसी भी कंपनी द्वारा दिया गया, मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। अन्य मामलों को संदर्भ में शामिल नहीं किया जाएगा।

1.3 मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए पक्ष मध्यस्थता और अनुरंजन (संशोधन) अधिनियम 2015 की उप-धारा 12(5) के दिए गए प्रारूप में अनुलग्नक ए' में की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं, यदि इस तरह की छूट के लिए सहमत हैं, लिखित रूप में, उनके बीच विवाद के बाद, इसलिए यह भरा हुआ प्रारूप पार्टी द्वारा मध्यस्थता की मांग के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए|

1.4 मध्यस्थता के लिए पूरा खर्च (शुल्क, यात्रा और ठहरने का खर्च, आकस्मिक शुल्क, कर आदि मध्यस्थ मध्यस्थता के लिए) एमआरवीसी और ठेकेदार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। अनुलग्नक 'ए' में उपलब्ध प्रारूप में, मध्यस्थता की मांग प्रस्तुत करते समय मध्यस्थता और अनुरंजन की धारा 31 ए (5) के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं।

2. मध्यस्थों की नियुक्ति:

सभी दावों के कुल मूल्य के आधार पर मध्यस्थता का स्तर तय किया जाता है और यह निम्नानुसार होगा :

2.1. मध्यस्थ की नियुक्ति जहां मध्यस्थता और अनुरंजन (संशोधन) अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता को माफ कर दिया गया है।

i. ऐसे मामलों में जहां एक साथ जोड़े गए सभी दावों का कुल मूल्य रु. 2,00,00,000/- (रु. पर दो करोड़) से अधिक नहीं है, न्यायाधिकरण में एक एकल मध्यस्थ शामिल होगा । मध्यस्थता एक राजपत्रित रेलवे

अधिकारी होगा जो जेए ग्रेड से नीचे नहीं है या समकक्ष ग्रेड (ई -6 और ऊपर) के रेलवे पीएसयू अधिकारी होगा ।

ii. उपरोक्त पैरा 2.1 (i) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन राजपत्रित रेलवे अधिकारियों का एक पैनल होगा जो जेए ग्रेड से नीचे नहीं होगा या समकक्ष ग्रेड (ई -6 और ऊपर) के रेलवे पीएसयू अधिकारी होंगे।

और

दो राजपत्रित रेलवे अधिकारी जो जेए ग्रेड से नीचे नहीं हैं या समकक्ष ग्रेड (ई -6 और ऊपर) के रेलवे पीएसयू अधिकारी और एक सेवानिवृत्त रेलवे / रेलवे पीएसयू अधिकारी, मध्यस्थ के रूप में एसएजी अधिकारी (पीएसयू के लिए ई -8) के पद से नीचे नहीं हैं।

यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उनमें से एक लेखा विभाग से है।

2.2. मध्यस्थ की नियुक्ति जहां मध्यस्थता और अनुरंजन (संशोधन) अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता को माफ नहीं किया गया है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन (3) सेवानिवृत्त रेलवे / रेलवे पीएसयू अधिकारियों का एक पैनल शामिल होगा, जो मध्यस्थ के रूप में एसएजी अधिकारियों के पद से नीचे का नहीं होगा।

2.3 उपरोक्त पैरा 2.1(ii) और 2.2 के तहत तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मामले में, एमआरवीसी मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए कम से कम 4 नामों का एक पैनल ठेकेदार को मध्यस्थता के लिए लिखित और वैध मांग प्राप्त होने के दिन से 60 दिनों के भीतर भेजेगा। ठेकेदार एमआरवीसी द्वारा अनुरोध भेजने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुबंध या नामिती के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल में से 2 नामों का सुझाव देगा। सीएमडी उनमें से कम से कम एक को ठेकेदार के नामिती के रूप में नियुक्त करेगा और साथ ही पीठासीन मध्यस्थ को इंगित करने वाले शेष को भी नियुक्त करेगा।

2.4 यदि ऊपर के रूप में नियुक्त एक या अधिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से इनकार करते हैं, मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यालय से हट जाते हैं, या अपने कार्यालय/कार्यालयों को खाली कर देते हैं या किसी भी कारण से मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यों को करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं या मर जाते हैं सीएमडी/एमआरवीसी की राय अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहती है, सीएमडी नए मध्यस्थों/मध्यस्थों को उनके स्थान पर उसी तरीके से कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा जिस तरह से पहले मध्यस्थ/मध्यस्थों नियुक्त किए गए थे। ऐसा पुनर्गठित ट्रिब्यूनल हो सकता है, जो अपने विवेक पर, उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ें जिस पर इसे पिछले मध्यस्थ द्वारा छोड़ा गया था।

2.5 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मध्यस्थ सदस्यों की नियुक्ति/प्रतिस्थापन के लिए सक्षम प्राधिकारी सीएमडी/एमआरवीसी होंगे। मध्यस्थता का स्थान आम तौर पर मुंबई होगा ।

3. मध्यस्थों की योग्यता

i. सेवारत राजपत्रित रेलवे अधिकारी जो जेए ग्रेड स्तर से नीचे नहीं या रेलवे पीएसयू के समकक्ष ग्रेड (ई -6 और ऊपर)

के अधिकारी है।

ii. सेवानिवृत्त रेलवे या रेलवे पीएसयू अधिकारी जिनमें एमआरवीसी अधिकारी शामिल हैं जो एसए ग्रेड (पीएसयू के लिए ई -8) स्तर से नीचे नहीं हैं, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के बाद ही एमआरवीसी के अनुमोदित पैनल पर रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

iii. नियुक्ति के समय मध्यस्थ की आयु 70 वर्ष से कम होगी ।

iv. एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है । जिसमें कुल मध्यस्थता मामलों की संख्या सात अधिमानतः उसके पास मध्यस्थता के मामले में सात से अधिक नहीं होने चाहिए, जिसमें उसे पूर्व में नियुक्त किया गया है ।

v. मध्यस्थों की नियुक्ति करते समय, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वह/वे वे नहीं हैं जिन्हें उन मामलों से निपटने का अवसर मिला है जिनसे अनुबंध संबंधित है या जो अपने कर्तव्यों के दौरान जैसा कि रेल सेवकों ने विवाद या मतभेदों के तहत सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए। मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए विचाराधीन व्यक्ति अनुबंध 'बी' के अनुसार किसी भी परिस्थिति का लिखित में खुलासा करेगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कार्यवाही या ऐसे ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय, हालांकि, केवल इस कारण से अमान्य नहीं होगा कि एक या एक से अधिक मध्यस्थ को अपनी सेवा के दौरान, उन मामलों से निपटने का अवसर मिला, जिनसे अनुबंध संबंधित है या जिन्होंने अपने कर्तव्यों के दौरान विवाद के तहत सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए।

4. सेवानिवृत्त रेलवे/पीएसयू अधिकारियों का मध्यस्थ/निर्णायक के रूप में पैनल:

मध्यस्थ/निर्णायक के रूप में कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त रेलवे/रेलवे पीएसयू अधिकारियों का एक पैनल बनाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

i. पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के पैनल में स्वीकृत अधिकारी एमआरवीसी पैनल में शामिल करने के लिए स्वचालित रूप से विचार किया जाएगा। कोई नई सतर्कता मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

एमआरवीसी द्वारा सीधे एमआरवीसी के मध्यस्थ/निर्णायक पैनल में शामिल करने के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध का मूल्यांकन सीएमडी द्वारा नामित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा और अनुमोदन के लिए सीएमडी के पास रखा जाएगा। हालांकि, अनुमोदन के लिए सीएमडी को स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश रखने से पहले, इन अधिकारियों के लिए सीवीओ/एमआरवीसी द्वारा सतर्कता मंजूरी प्राप्त की जानी है, जो अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के लिए रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय से सीधे संवाद करेंगे।

एमआरवीसी अधिकारी से किसी मामले में मध्यस्थ के रूप में काम करने की इच्छा के बारे में अनुलग्नक 'ईवाई' में प्रति संलग्न प्रारूप में पूछेगा । इच्छा माँगते समय विवाद का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए।

5. मध्यस्थों के लिए शुल्क संरचना:

i. सेवानिवृत्त रेलवे/रेलवे पीएसयू अधिकारियों के लिए शुल्क, प्रत्येक मध्यस्थ के लिए प्रति मामला 1,50,000/- रुपये ।

ii. जेएजी और उससे ऊपर के एमआरवीसी और रेलवे अधिकारी या समकक्ष ग्रेड के रेलवे पीएसयू अधिकारी की सेवा के लिए शुल्क, प्रत्येक मध्यस्थ के लिए प्रति मामला 60,000 / - रुपये ।

iii. आकस्मिक/विविध शुल्क देय है, जो अधिकतम रु.10,000/- प्रति मामले के अधीन है। इसमें स्टैंप पेपर, आशुलिपिक सहायता, स्टेशनरी, डाक, फोन कॉल और बैठक के दौरान होने वाले अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं।

iv. <u>यात्रा लागत और होटल आवास:</u>

रेलवे / रेलवे पीएसयू के सेवारत अधिकारियों के लिए: उनकी पात्रता ग्रेड के अनुसार।

सेवानिवृत्त रेलवे / रेलवे पीएसयू अधिकारियों के लिए; जिस ग्रेड में वह सेवानिवृत्त हुआ है, उसके लिए रेलवे/रेलवे पीएसयू में स्वीकार्य यात्रा की श्रेणी/यात्रा के तरीके के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

हवाई यात्रा के मामले में, पात्रता इकोनॉमी क्लास और सड़क मार्ग से एसी कार होगी। मुंबई नगर निगम/महानगर/उपनगरीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले मध्यस्थ/निर्णायक के लिए एमआरवीसी द्वारा उपयुक्त होटल आवास की व्यवस्था की जाएगी।

v. मध्यस्थता के लिए संपूर्ण व्यय (शुल्क, यात्रा और ठहरने का खर्च, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए आकस्मिक शुल्क, कर आदि) एमआरवीसी और ठेकेदार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम की धारा 31-ए(5) के तहत एक समझौते पर ऊपर खंड 1.4 के अनुसार मध्यस्थता की मांग प्रस्तुत करते समय अनुबंध में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार पार्टी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

vi. उपरोक्त शुल्क दावे की राशि की परवाह किए बिना हैं। जीएसटी लागू होने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

viii. एकमात्र मध्यस्थ उपरोक्त पैरा 5(i) और 5(ii) में निर्धारित शुल्क पर 25% अतिरिक्त शुल्क का हकदार होगा।

पंचाट न्यायाधिकरण (मध्यस्थों का एकमात्र या पैनल) 50% अतिरिक्त शुल्क (उपरोक्त पैरा 5(i), 5(ii) और 5(viii) में निर्धारित शुल्क से अधिक) का हकदार होगा, यदि निर्णय के छह महीने के भीतर निर्णय लिया जाता है न्यायाधिकरण की नियुक्ति।

6. एडजुडिकेटर के लिए योग्यता और शुल्क संरचना:

वह सेवानिवृत्त रेलवे/रेलवे पीएसयू अधिकारी होंगे जो एसएजी और उससे ऊपर (पीएसयू के लिए ई-8 और ऊपर) के रूप में सेवानिवृत्त होंगे और उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार एमआरवीसी के पैनल पर होंगे।

ii. निर्णायक को भुगतान की जाने वाली फीस 1 लाख रुपये होगी। शुल्क और सुविधाओं से संबंधित अन्य खंड जैसे यात्रा लागत, होटल आवास, आकस्मिक शुल्क, जीएसटी खंड और मंजूरी प्राधिकरण आदि, जो ऊपर उल्लिखित पैरा 5 (iii), (iv), (vi) और (vii) के लिए भी लागू होंगे .

iii. किए गए पूरे खर्च को दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

7. इन नीति दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता:

7.1 ये मध्यस्थता नीति दिशानिर्देश बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित को छोड़कर सभी कार्यों और सेवा अनुबंधों पर लागू होते हैं। हालांकि, ये दिशानिर्देश बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित अनुबंधों में मध्यस्थता खंड और अनुबंधों की आईआरएस शर्तों के अनुसार माल की खरीद के पूरक होंगे।

7.2 जहां कहीं भी यह नीति अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है, अनुबंध की मौजूदा शर्तें लागू होंगी।

7.3 ये नीति दिशानिर्देश एमआरवीसी की सार्वजनिक वेबसाइट www.mrvc.indianrailways.gov.in पर अपलोड और उपलब्ध होंगे।

7.4 इन नीति दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता को बोली दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। आवश्यक सीमा तक निविदा शर्तों को भी संशोधित किया जा सकता है, विशेष रूप से मध्यस्थता की मांग के संबंध में खंड 1 और उपरोक्त खंड 1.3 और 1.4 के तहत छूट से संबंधित संलग्न प्रारूपों को निविदा शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए।

ईडी / इलेक्ट्रिकल

सभी संबंधित

संलग्न अनुलग्नक-ए (खंड 1.3 और 1.4 के तहत प्रारूप)
अनुलग्नक बी (खंड 3(v) के तहत प्रारूप

अनुलग्नक 'ए'

मध्यस्थता की धारा 12(5) और धारा 31-ए(5) के तहत छूट की ओर और अनुरंजन (संशोधन) अधिनियम

मैं/हम ..... (एजेंसी/ठेकेदार का नाम) के संदर्भ में ..... समझौता निर्माण के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाएं और इस अनुबंध के संचालन, या संबंधित अधिकारों और देनदारियों, प्रमाण पत्र को रोकना और निम्नलिखित दावों के संबंध में मध्यस्थता की मांग करना:

दावे का संक्षिप्त विवरण:

(i) दावा 1- अनुबंध में विस्तृत-
(ii) दावा 2
(iii) दावा 3

मैं/हम..... (इंजीनियर का पद) अनुबंध संख्या के संदर्भ में.....इसके द्वारा निर्माण और संचालन के संबंध में विवाद उठाना, इस अनुबंध, या संबंधित अधिकारों और देनदारियों, प्रमाण पत्र को रोकना और निम्नलिखित दावों के संबंध में मध्यस्थता की मांग करना:

मैं/हम ..... धारा की प्रयोज्यता को माफ करने के लिए सहमत/सहमत नहीं हैं । मध्यस्थता और अनुरंजन (संशोधन) अधिनियम की धारा 12(5)।
दावेदार के हस्ताक्षर प्रतिवादी के हस्ताक्षर _____

धारा 31-ए(5) के तहत समझौता

मैं/हम.....(दावेदार का नाम) अनुबंध संख्या के संदर्भ में..... एतद्द्वारा मध्यस्थता और अनुरंजन (संशोधन) उप धारा 31-ए(2) से अधिनियम के 31-ए (4) तक की प्रयोज्यता को माफ किया जाता है । हम आगे सहमत हैं कि एमआरवीसी की मध्यस्थता नीति के खंड 1.4 और 5 (v) के अनुसार पार्टियों द्वारा मध्यस्थता की लागत को समान रूप से साझा किया जाएगा।

दावेदार के हस्ताक्षर _____ प्रतिवादी के हस्ताक्षर_____

अनुलग्नक

एमआरवीसी द्वारा नियुक्त किए जा रहे **मध्यस्थों द्वारा इच्छा/प्रमाणन**

1. नाम

2. संपर्क विवरण

3. पूर्व अनुभव (मध्यस्थता के साथ अनुभव सहित) -

4. मेरे साथ यूआईआई-गोइंग आर्बिट्रेशन मामलों की संख्या

5. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं रेलवे/रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त हो गया हूं / गई हूं। और "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम - 1996" के अनुसार रेलवे / एमआरवीसी मध्यस्थ के रूप में सूचीबद्ध हूं।

6. विवाद की विषय वस्तु के संबंध में मेरा कोई अतीत या वर्तमान संबंध नहीं है, चाहे वह वित्तीय, व्यावसायिक, पेशेवर या अन्य प्रकार का हो।

या

विवाद में विषय वस्तु के संबंध में मेरा अतीत या वर्तमान संबंध है, चाहे वह वित्तीय, व्यावसायिक, पेशेवर या अन्य प्रकार का हो। ऐसे हितों की सूची इस प्रकार है;

7. मेरा किसी भी पक्ष के साथ कोई अतीत या वर्तमान संबंध या हित नहीं है, चाहे वित्तीय, व्यावसायिक, पेशेवर या अन्य प्रकार, जो मेरी स्वतंत्रता के बारे में या निष्पक्ष रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के संदर्भ में उचित संदेह दे सकता है। - 1996.

या

मेरा किसी भी पक्ष के साथ अतीत या वर्तमान संबंध या हित है, चाहे वह वित्तीय, व्यावसायिक, पेशेवर या अन्य प्रकार का हो, जो मेरी स्वतंत्रता या निष्पक्ष रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम - 1996 के संदर्भ में उचित संदेह को जन्म दे सकता है। ऐसे संबंध या रुचियों का विवरण इस प्रकार है;

ऐसी कोई समवर्ती परिस्थितियाँ नहीं हैं जो मध्यस्थता के लिए पर्याप्त समय समर्पित करने और विशेष रूप से बारह महीनों के भीतर संपूर्ण मध्यस्थता को समाप्त करने की मेरी क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

या

ऐसी परिस्थितियां हैं जो मध्यस्थता के लिए पर्याप्त समय समर्पित करने की मेरी क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं और विशेष रूप से बारह महीनों के भीतर संपूर्ण मध्यस्थता को समाप्त करने के लिए। ऐसी परिस्थितियों की सूची इस प्रकार है;

दिनांक _____ हस्ताक्षर_____